कार्यालय उप निदेशक, फायर सर्विस लखनऊ/फैजाबाद परिक्षेत्र।

पत्र संख्या-अ-77/डी0डी0(लखनऊ)-2015 दिनांक मई 29,2015

सेवा में,

मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स,
खसरा संख्या-165 व 185, ग्राम-उत्तरधौना,
फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ।

विषयः <u>मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स खसरा संख्या-165 व 185 ग्राम उत्तरधौना फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ में प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-निल, दिनांक 05.05.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भवन का प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ अग्निशमन अधिकारी गोमतीनगर द्वारा किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ/ अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ की आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

<u>भवन की संरचना-</u>

1-कुल भूखण्ड एरिया-	2997.98 वर्गमीटर।
2-स्टिल्ट का कवर्ड एरिया-	733.84 वर्गमीटर।
3-प्रथम तल का कवर्ड एरिया-	721.23 वर्गमीटर।
4-द्वितीय तल से दसवें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया-	697.01 वर्गमीटर।
5-ग्यारहवें तल से बारहवे तल का टिपिक कवर्ड एरिया-	608.17 वर्गमीटर।

6- भवन की ऊँचाई 38.100 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

<u>ढॉचागत व्यवस्थाः-</u>

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 60 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई- 06.00 मीटर व निकास द्वार-06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।

<u>3-सेटबैक-</u> भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

- अग्रभाग- 14.550 मीटर।
- पृष्ठभाग- 14.810 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 10.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 10.160 मीटर।

भवन का सेटबैक भवन निर्माण व विकास उपविधि-2008 के अनुसार भवन के चारो ओर 12.00 मीटर सेटबैक नियमों के अनुरूप प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

<u>4-निकास मार्गः-</u> भवन में दो स्टेयर जिनकी चौड़ाई-01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण- प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्राविधानित है।

For Omega Developer And Builders
30/07/2017
Partner

<u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-</u> नेशनल बिल्डंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है:-

1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक 75000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प, एक डीजल चालित पम्प-1620 एल0पी0एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुरूप स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

6-हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम- मैनुअली अपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक टावर में एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

9-टैरिस टैंक- भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

10-टैरिस पम्प-आवश्यक नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) भवन के प्रत्ये कतल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना ओगा, जो मानक के अनुरूप है।

12-स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम- आवश्यक नहीं है।

13-प्रेशराईजेशन प्रणाली-आवश्यक नहीं है।

14-एग्जिट साइनेज- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

15-पी0ए0 सिस्टम- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स खसरा संख्या-165 व 185 ग्राम उत्तरधौना फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ के प्रस्तावित भवन हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्नक-मानचित्र</u>

For Omega Developer And Builders

Partner

30/07/2017

Received

02/06/15

(एस0के0 सिंह)

29/5/15

उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र,

लखनऊ/फैजाबाद।

प्रतिलिपि-

1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।